जन सुनवाई कार्यवाही विवरण

परियोजना प्रस्तावक मैसर्स श्री हरि ग्रेनाईट माईन्स एण्ड मिनरल्स के खनन की कलस्टर मय खनन परियोजना, एम.एल. न. 51/2022, क्षेत्रफल – 1.25707 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता – 1,29,024 टन प्रतिवर्ष (रोम) एवं कलस्टर का कुल क्षेत्रफल 9.56954 हैक्टेयर, कलस्टर की उत्पादन क्षमता 10,45,430 टन प्रतिवर्ष (रोम), ग्राम -- सूरजगढ़, तहसील – रियांवडी, जिला – नागौर (राजस्थान) में पर्यावरणीय स्वीकृती हेतु उपखण्ड मजिस्ट्रेट, मेडता, जिला नागौर (राजस्थान) की अध्यक्षता में दिनांक 10.08.2023 को सायं 04:00 बजे राजकीय उच्च प्राथमिक विघालय, सूरजगढ, तहसील – रियांवडी, जिला – नागौर (राजस्थान) में आयोजित जन सुनवाई की कार्यवाही (Minutes) का विवरण:–

जिला कलेक्टर के आदेश क्रमांकः– न्याय/प्रदूषण/ ज.सु. 2023/4790 दिनांकः 10/8/2023 के अनुसार श्री गौरी शंकर शर्मा उपखण्ड अधिकारी, रियांवडी, जिला नागौर की अनुपस्थिति के कारण श्री पूरण कुमार शानी, उपखण्ड अधिकारी, मेडता, जिला नागौर की अध्यक्षता में जनसुनवाई का संचालन किया गया।

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के अनुसरण में कार्यालय जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, नागौर के पत्र कमांक/न्याय/प्रदूषण/ज.सु.2023/3571 दिनांक 28.06.2023 एवं क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल, नागौर के पत्र क्रमांक RPCB/RO NGR/PUB-178/757 दिनांक 03.07.2023 के अनुपालना में मैसर्स श्री हरि ग्रेनाईट माईन्स एण्ड मिनरल्स ने प्रस्तावित खनन परियोजना (ग्रेनाईट) एम.एल. न. 51/2022, क्षेत्रफल – 1.25707 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता – 1,29,024 टन प्रतिवर्ष (रोम) एवं कलस्टर का कुल क्षेत्रफल 9.56954 हैक्टेयर, कलस्टर की उत्पादन क्षमता 10,45,430 टन प्रतिवर्ष (रोम), ग्राम – सूरजगढ, तहसील – रियांवडी, जिला – नागौर (राजस्थान) के खनन से सम्बन्धित जनसुनवाई दिनांक 10.08.2023 को आयोजित की गई। जन सुनवाई में उपस्थित सभी व्यक्तियो का विवरण मय हस्ताक्षर परिशिष्ट संख्या 01 पर संलग्न है। जनसुनवाई की आम सूचना दो स्थानीय समाचार पत्र द इण्डियन एक्सप्रेस समाचार पत्र में दिनांक 7 जुलाई, 2023 (शुक्रवार) एवं दैनिक नवज्योति समाचार पत्र दिनांक 8 जुलाई, 2023 (शनिवार) को प्रकाशित की गई थी जिसकी प्रति परिशिष्ट संख्या 02 पर संलग्न है।

उपखण्ड अधिकारी
मेडता

जन सुनवाई के प्रारम्भ में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के क्षेत्रीय अधिकारी श्रीमती सविता ने सभी आंगतुको का स्वागत किया। तत्पश्चात श्री पूरण कुमार शानी, उपखण्ड अधिकारी, गेडता, जिला नागौर की अनुमति से जनसुनवाई आरम्भ की गई।

श्रीमती सविता, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, नागौर ने जनसुनवाई के प्रावधान, उदेद्श्य एवं महत्व तथा परियोजना के बारे में जानकारी दी एवं परियोजना के बारे में विस्तृत जानकारी देने हेतु पर्यावरणीय सलाहकार को जनसुनवाई के दौरान उपस्थित अधिकारियों एवं ग्रामवासियों/व्यक्तियो को प्रस्तावित खनन परियोजना के बारे में विस्तार से अवगत कराने बावत् आमंत्रित किया।

परियोजना प्रबंधक की ओर से खनन परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार वाईब्रेट टेक्नो लेब प्राईवेट लिमिटेड, जयपुर के पर्यावरणीय सलाहकार श्री रूपम शर्मा के माध्यम से जनसुनवाई के दौरान उपस्थित अधिकारियो एवं ग्रामवासियो/व्यक्तियो को विस्तृत जानकारी दी। खनन परियोजना के सम्बन्ध में कलस्टर प्रमाण पत्र एवं नक्शा जानकारी, परियोजना की स्थिति, लोकेषन मेप, खनन पट्टे की गूगल इमेजनरी, परियोजना की प्रमुख विषेषताएं, परियोजना का विवरण, क्षेत्र की पर्यावरण स्थिति का विवरण, परिवहनभार, पर्यावरण संरक्षण उपाय, खनन की समय सीमा समाप्ति पर भूमि का उपयोग, पर्यावरण प्रबंधन के साथ हरित पट्टिका का विकास, पर्यावरण प्रबंधन योजना (वायु, जल, ध्वनि, ठोस अपषिष्ट गुणवत्ता प्रबंधन), व्यवसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, श्रमिक कल्याण हेतु प्रस्तावित कार्य से संबंधित जानकारी प्रदान की गई। उन्होने वर्तमान की खनन योजना के दौरान ऑवर बर्डन के रूप निकलने वाले अपषिष्ट को अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार इकट्ठा किया जायेगा एवं वृक्षारोपरण द्वारा स्थिर किया जायेगा, साथ ही पर्यावरण संरक्षण की प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित खनन परियोजना से होने वाले प्रदूषण, उसके प्रबंधन तथा मण्डल मानको के अनुरूप रोकथाम करने के प्रस्तावित प्रयासो से अवगत कराया। साथ ही वृक्षारोपण, कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सी.एस.आर.), व्यवसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के सम्बन्ध में भी जानकारी दी गई।

श्रीमती सविता, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, नागौर एवं श्री पूरण कुमार शानी, उपखण्ड अधिकारी, गेडता, जिला नागौर की ओर से जनसुनवाई में

Savita

उपखण्ड अधिकारी
गेडता

उपस्थित लोगो को अपने विचार/आपत्ति, सुझाव प्रकट करने के लिए आमंत्रित किया गया।

इसी क्रम में उक्त खनन परियोजना से संबधित उपस्थित जनसमुदाय में से कुछ विचार मौखिक रूप से व्यक्त किये गये जो निम्न प्रकार हैः–

श्री ब्रहम देव शर्मा, सरंपच प्रतिनिधि, आलनियावास ने अपने विचार व्यक्त करते हुए बताया की लीज धारक हमेशा वृक्षारोपण करते है लेकिन पेड–पौधो के लिए पानी की व्यवस्था एवं उनको जानवरो से बचाने के लिए सुरक्षा के उपाय किये जाने चाहिए।

इस पर परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार श्री उमेश शर्मा ने बताया की परियोजना प्रस्तावक द्वारा किये जाने वाले पौधारोपण कार्यक्रम के अन्तर्गत वृक्षों के स्वस्थ विकास के लिए उचित बाड और पेडों की रखवाली के साथ आवधिक सफाई, खाद ओर पानी का ध्यान रखा जायेगा एवं इस हेतु बजट का प्रावधान भी दिया गया है।

श्री टीकम चन्द ग्राम आलनियावास ने कहा की परियोजना में रोजगार हेतु स्थानीय निवासियो को प्राथमिकता दी जाए।

इस पर परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार श्री उमेश शर्मा ने बताया की इस परियोजना में रोजगार हेतु स्थानीय लोगो को ही प्राथमिकता दिये जाने का प्रावधान किया गया है तथा परियोजना प्रस्तावक द्वारा भी निश्चित किया गया की स्थानीय निवासियो को ही रोजगार हेतु प्राथमिकता दी जाएगी।

श्री अंकित जाखड, सूरजगढ़ द्वारा बोला गया की इन परियोजनाओं के चलने से फसल को कोई हानी तो नही होगी।

इस पर परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार श्री उमेश शर्मा ने बताया की इस परियोजना हेतु जो पर्यावरणीय आधारभूत अध्ययन किया गया है जिसमें की वायु, जल, ध्वनि एवं मृदा के नमूने लिए गये थे जिनके परिणाम तय मानको के अनुरूप ही पाये गए है तथा परियोजना में धूल के उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए पर्यावरण संरक्षण के उपायो को विधिपूर्वक अपनाया जायेगा एवं खान से निकलने वाले खनिज के परिवहन के दौरान उपयोग होने वाले ट्रक/डम्पर इत्यादी को तिरपाल से ढक कर खनिज का परिवहन किया जाएगा व खान से निकलने वाले ओवरबर्डन को भी खान में ही निर्धारित स्थान पर डाला

जाएगा व समय–समय पर आस पास के क्षेत्रो में मृदा के नमूने का परिक्षण भी किया जाएगा।

विद्यालय के प्रधानाचार्य जी एवं ग्रामवासियों के द्वारा जन सुनवाई के दौरान अवगत करवाया गया कि विद्यालय का एक हॉल जर्जर अवस्था में है। श्री ब्रहम देव शर्मा, सरंपच प्रतिनिधि, आलनियावास ने श्री पूरण कुमार शानी, उपखण्ड अधिकारी, मेडता, जिला नागौर से आग्रह किया की गांव की स्कूलो के विकास हेतु खनन प्रतिनिधियो द्वारा सहयोग अपेक्षित है जिस पर जनसुनवाई में उपस्थित मैसर्स श्री हरि ... माईन्स एण्ड मिनरल्स के प्रतिनिधि श्री सुनिल कुमार द्वारा मौके पर ही 51,000/- रूपये की सहयोग राशि स्कूल को भेट करने की घोषणा की गई साथ ही उन्होने यह आश्वस्त भी किया की भविष्य में भी वे इसी प्रकार से गांव के विकास के लिए सहयोग करते रहेंगे। जिस पर राजकीय उच्च प्राथमिक विघालय, सूरजगढ़, तहसील – रियाबडी, जिला – नागौर (राजस्थान) के प्रधानाचार्य द्वारा श्री सुनील कुमार जी का आभार व्यक्त किया गया व श्री पूरण कुमार शानी, उपखण्ड अधिकारी, मेडता, जिला नागौर ने भी इनका आभार व्यक्त किया व आगे भी इसी तरह गांव के विकास हेतु सहयोग की अपेक्षा की।

जनसुनवाई से पहले, दौरान एवं जनसुनवाई के पश्चात उक्त खनन परियोजना से संबंधित कोई भी सुझाव/अभ्यावेदन/प्रार्थना पत्र लिखित में प्राप्त नहीं हुए है।

अन्त में क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, नागौर द्वारा जनसुनवाई के दौरान ग्रामवासियो/व्यक्तियो का आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद के साथ श्रीमान श्री पूरण कुमार शानी, उपखण्ड अधिकारी, मेडता, जिला नागौर की अनुमति से पर्यावरणीय जनसुनवाई की समाप्ति की घोषणा के साथ जन–सुनवाई की कार्यवाही सम्पन्न की गई।

श्री पूरण कुमार शानी,
उपखण्ड अधिकारी,
मेड़ता, जिला नागौर
उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता

श्रीमती सविता,
क्षेत्रीय अधिकारी,
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल,
नागौर

जन सुनवाई कार्यवाही विवरण

परियोजना प्रस्तावक मैसर्स श्री हरि ग्रेनाईट माईन्स एण्ड मिनरल्स के खनन की क्लस्टर मय खनन परियोजना, एम.एल. न. 51/2022, क्षेत्रफल – 1.25707 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता – 1,29,024 टन प्रतिवर्ष (रोम) एवं कलस्टर का कुल क्षेत्रफल 9.56954 हैक्टेयर, कलस्टर की उत्पादन क्षमता 10,45,430 टन प्रतिवर्ष (रोम), ग्राम – सूरजगढ़, तहसील – रियांवडी, जिला – नागौर (राजस्थान) में पर्यावरणीय स्वीकृती हेतु उपखण्ड मजिस्ट्रेट, मेडता, जिला नागौर (राजस्थान) की अध्यक्षता में दिनांक 10.08.2023 को सायं 04:00 बजे राजकीय उच्च प्राथमिक विघालय, सूरजगढ़, तहसील – रियावंडी, जिला – नागौर (राजस्थान) में आयोजित जन सुनवाई की कार्यवाही (Minutes) का विवरण:–

जिला कलेक्टर के आदेश क्रमांक:– न्याय/प्रदूषण/ ज.सु. 2023/4790 दिनांक: 10/8/2023 के अनुसार श्री गौरी शंकर शर्मा उपखण्ड अधिकारी, रियावडी, जिला नागौर की अनुपस्थिति के कारण श्री पूरण कुमार शानी, उपखण्ड अधिकारी, मेडता, जिला नागौर की अध्यक्षता में जनसुनवाई का संचालन किया गया।

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के अनुसरण में कार्यालय जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, नागौर के पत्र क्रमांक/न्याय/प्रदूषण/ज.सु.2023/3571 दिनांक 28.06.2023 एवं क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल, नागौर के पत्र क्रमांक RPCB/RO NGR/PUB-178/757 दिनांक 03.07.2023 के अनुपालना में मैसर्स श्री हरि ग्रेनाईट माईन्स एण्ड मिनरल्स ने प्रस्तावित खनन परियोजना (ग्रेनाईट) एम.एल. न. 51/2022, क्षेत्रफल – 1.25707 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता – 1,29,024 टन प्रतिवर्ष (रोम) एवं कलस्टर का कुल क्षेत्रफल 9.56954 हैक्टेयर, कलस्टर की उत्पादन क्षमता 10,45,430 टन प्रतिवर्ष (रोम), ग्राम – सूरजगढ़, तहसील – रियांवडी, जिला – नागौर (राजस्थान) के खनन से सम्बन्धित जनसुनवाई दिनांक 10.08.2023 को आयोजित की गई। जन सुनवाई में उपस्थित सभी व्यक्तियों का विवरण मय हस्ताक्षर परिशिष्ट संख्या 01 पर संलग्न है। जनसुनवाई की आम सूचना दो स्थानीय समाचार पत्र द इण्डियन एक्सप्रेस समाचार पत्र में दिनांक 7 जुलाई, 2023 (शुक्रवार) एवं दैनिक नवज्योति समाचार पत्र दिनांक 8 जुलाई, 2023 (शनिवार) को प्रकाशित की गई थी जिसकी प्रति परिशिष्ट संख्या 02 पर संलग्न है।

उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता

जन सुनवाई के प्रारम्भ में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियत्रंण मण्डल के क्षेत्रीय अधिकारी श्रीमती सविता ने सभी आंगतुको का स्वागत किया। तत्पश्चात श्री पूरण कुमार शानी, उपखण्ड अधिकारी, मेडता, जिला नागौर की अनुमति से जनसुनवाई प्रारम्भ की गई।

श्रीमती सविता, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियत्रंण मण्डल, नागौर ने जनसुनवाई के प्रावधान, उदेद्श्य एवं महत्व तथा परियोजना के बारे में जानकारी दी एवं परियोजना के बारे में विस्तृत जानकारी देने हेतु पर्यावरणीय सलाहकार को जनसुनवाई के दौरान उपस्थित अधिकारियों एवं ग्रामवासियों/व्यक्तियो को प्रस्तावित खनन् परियोजना के बारे में विस्तार से अवगत कराने बाबत् आमंत्रित किया।

परियोजना प्रंबधक की ओर से खनन परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार वाईब्रेंट टेक्नो लेब प्राईवेट लिमिटेड, जयपुर के पर्यावरणीय सलाहकार श्री उमेष शर्मा के माध्यम से जनसुनवाई के दौरान उपस्थित अधिकारियो एवं ग्रामवासियो/व्यक्तियो को विस्तृत जानकारी दी। खनन परियोजना के सम्बन्ध में कलस्टर प्रमाण पत्र एवं नक्षा जानकारी, परियोजना की स्थिति, लोकेषन मेप, खनन पट्टे की गूगल इमेजनरी, परियोजना की प्रमुख विषेषताएं, परियोजना का विवरण, क्षेत्र की पर्यावरण स्थिति का विवरण, परिवहनभार, पर्यावरण संरक्षण उपाय, खनन की समय सीमा समाप्ति पर भूमि का उपयोग, पर्यावरण प्रबंधन के साथ हरित पट्टिका का विकास, पर्यावरण प्रबंधन योजना (वायु, जल, ध्वनि, ठोस अपषिष्ट गुणवत्ता प्रबंधन), व्यवसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, श्रमिक कल्याण हेतु प्रस्तावित कार्य से संबंधित जानकारी प्रदान की गई। उन्होने बताया की खनन योजना के दौरान ऑवर बर्डन के रूप निकलने वाले अपषिष्ट को अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार इकट्ठा किया जायेगा एवं वृक्षारोपरण द्वारा स्थिर किया जायेगा, साथ ही पर्यावरण संरक्षण की प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित खनन परियोजना से होने वाले प्रदूषण, उसके प्रंबधन तथा मण्डल मानको के अनुरूप रोकथाम करने के प्रस्तावित प्रयासो से अवगत कराया। साथ ही वृक्षारोपण, कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सी.एस.आर.), व्यवसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के सम्बन्ध में भी जानकारी दी गई।

श्रीमती सविता, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियत्रंण मण्डल, नागौर एवं श्री पूरण कुमार शानी, उपखण्ड अधिकारी, मेडता, जिला नागौर की ओर से जनसुनवाई में

उपखण्ड अधिकारी
मेडता

उपस्थित लोगो को अपने विचार/आपत्ति, सुझाव प्रकट करने के लिए आमन्त्रित किया गया।

इसी क्रम में उक्त खनन परियोजना से संबंधित उपस्थित जनसमुदाय में से कुछ विचार मौखिक रूप से व्यक्त किये गये जो निम्न प्रकार है:-

श्री ब्रहम देव शर्मा, सरपंच प्रतिनिधि, आलनियावास ने अपने विचार व्यक्त करते हुए बताया की लीज धारक हमेशा वृक्षारोपण करते है लेकिन पेड़-पौधो के लिए पानी की व्यवस्था एवं उनको जानवरो से बचाने के लिए सुरक्षा के उपाय किये जाने चाहिए।

इस पर परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार श्री उमेश शर्मा ने बताया की परियोजना प्रस्तावक द्वारा किये जाने वाले पौधारोपण कार्यक्रम के अन्तार्गत वृक्षो के स्वस्थ विकास के लिए उचित बाड और पेडों की रखवाली के साथ आवधिक सफाई, खाद और पानी का ध्यान रखा जायेगा एवं इस हेतु बजट का प्रावधान भी दिया गया है।

श्री टीकम चन्द ग्राम आलनियावास ने कहा की परियोजना में रोजगार हेतु स्थानीय निवासियो को प्राथमिकता दी जाए।

इस पर परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार श्री उमेश शर्मा ने बताया की इस परियोजना में रोजगार हेतु स्थानीय लोगों को ही प्राथमिकता दिये जाने का प्रावधान किया गया है तथा परियोजना प्रस्तावक द्वारा भी निश्चित किया गया की स्थानीय निवासियो को ही रोजगार हेतु प्राथमिकता दी जाएगी।

श्री अंकित जाखड, सूरजगढ द्वारा बोला गया की इन परियोजनाओ के चलने से फसल को कोई हानी तो नही होगी।

इस पर परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार श्री उमेश शर्मा ने बताया की इस परियोजना हेतु जो पर्यावरणीय आधारभूत अध्ययन किया गया है जिसमें की वायु, जल, ध्वनि एवं मृदा के नमूने लिए गये थे जिनके परिणाम तय मानको के अनुरूप ही पाये गए है तथा परियोजना में धूल के उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए पर्यावरण संरक्षण के उपायो को विधिपूर्वक अपनाया जायेगा एवं खान से निकलने वाले खनिज के परिवहन के दौरान उपयोग होने वाले ट्रक/डम्पर इत्यादी को तिरपाल से ढक कर खनिज का परिवहन किया जाएगा व खान से निकलने वाले ओवरबर्डन को भी खान में ही निश्चित स्थान पर डाला

उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता

Deepika

जाएगा व समय–समय पर आस पास के क्षेत्रो में मृदा के नमूनो का परिक्षण भी किया

जाएगा।

विद्यालय के प्रधानाचार्य जी एवं ग्रामवासियों के द्वारा जन सुनवाई के दौरान अवगत
करवाया गया कि विद्यालय का एक हॉल जर्जर अवस्था में है तथा श्री प्रहग देव शर्मा,
सरंपच प्रतिनिधि, आलनियावास ने श्री पूरण कुमार शानी, उपखण्ड अधिकारी, मेडता, जिला
नागौर से आग्रह किया की गांव की स्कूलो के विकास हेतु खनन प्रतिनिधियो द्वारा सहयोग
अपेक्षित है जिस पर जनसुनवाई में उपस्थित मैसर्स श्री हरि ग्रेनाईट माईन्स एण्ड मिनरल्स
के प्रतिनिधि श्री सुनिल कुमार द्वारा मौके पर ही 51,000/– रूपये की सहयोग राशि स्कूल
को भेट करने की घोषणा की गई साथ ही उन्होने यह आश्वस्त भी किया की भविष्य में भी
वे इसी प्रकार से गांव के विकास के लिए सहयोग करते रहेगें। जिस पर राजकीय उच्च
प्राथमिक विधालय, सूरजगढ़, तहसील – रियाबंडी, जिला – नागौर (राजस्थान) के
प्रधानाचार्य द्वारा श्री सुनील कुमार जी का आभार व्यक्त किया गया व श्री पूरण कुमार
शानी, उपखण्ड अधिकारी, मेडता, जिला नागौर ने भी इनका आभार व्यक्त किया व आगे
भी इसी तरह गांव के विकास हेतु सहयोग की अपेक्षा की।

जनसुनवाई से पहले, दौरान एवं जनसुनवाई के पश्चात उक्त खनन परियोजना से संबंधित
कोई भी सुझाव/अभ्यावेदन/प्रार्थना पत्र लिखित में प्राप्त नही हुए है।

अन्त में क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियत्रंण मण्डल, नागौर द्वारा जनसुनवाई
के दौरान ग्रामवासियो/व्यक्तियो का आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद के साथ श्रीमान श्री
पूरण कुमार शानी, उपखण्ड अधिकारी, मेडता, जिला नागौर की अनुमति से पर्यावरणीय
जनसुनवाई की समाप्ति की घोषणा के साथ जन–सुनवाई की कार्यवाही सम्पन्न की गई।

श्री पूरण कुमार शानी,
उपखण्ड अधिकारी,
मेडता, जिला नागौर
उपखण्ड अधिकारी,
मेडता

श्रीमती सविता,
क्षेत्रीय अधिकारी,
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियत्रंण मण्डल,
नागौर

उपस्थिति पत्रक

मैसर्स श्री हरि ग्रेनाईट माईन्स एण्ड मिनरल्स, गांव–सूरजगढ, तहसील – रियाबाड़ी, जिला – नागौर के "ग्रेनाईट माइनिंग प्रोजेक्ट एम.एल. न. 51/2022, कुल अनुमानित उत्पादन क्षमता 1,29,024 टन प्रतिवर्ष (रोम) (विक्रय योग्य खनिज 64,512 टन प्रतिवर्ष एवं वेस्ट 64,512 टन प्रतिवर्ष), क्षेत्रफल – 1.25707 हैक्टेयर की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई ।

स्थान :– राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, सूरजगढ, तहसील – रियाबाड़ी, जिला – नागौर

जिला :– नागौर।

दिनांक :– 10.08.2023

समय :– सायं 4:00 बजे से

क्र.स.	नाम व पता	मोबाईल नम्बर	हस्ताक्षर
1.	Puran Kumar, S.O., morm	8209700081	[signature]
2.	Savita, Regional Officer, RSPCB, Nagaur	9983411222	[signature]
3.	Tejraj – Gaur, AEO, RSPCB, Nagaur	9549820647	[signature]
4.	Umesh Kumar sharma (EIA Co-ord)	8005707098 Vibrant Technolab Pvt. LTD	[signature]
5.	Shiv dayal Godara (EIA FAE)	Vibrant Technolab Pvt. LTD	[signature]
6.	Hariram Choudhary	7831610364	[signature]
7.	Sohan Lal Sharma	8104442638	[signature]
8.	Ananda Ram	9982323362	[signature]
9.	Chandra [illegible]	7877411039	[signature]
10.	Bhupen Ajmer	9782281143	[signature]
11.	Poosingh Surajgarh	9784864997	[signature]
12.	ललित जांगिड़ थांवला	7023672420	ललित
13.	~~[illegible] (EK गैनाइट~~	~~[illegible]~~	[signature]
14.	[illegible]	7568842216	[signature]
15.	सुरेन्द्र कुमार	9460941065	[signature]

उपस्थिति पत्रक

मैसर्स श्री हरि ग्रेनाईट माईन्स एण्ड मिनरल्स, गांव–सूरजगढ़, तहसील – रियाबाड़ी, जिला – नागौर के "ग्रेनाईट माइनिंग प्रोजेक्ट एम.एल. न. 51/2022, कुल अनुमानित उत्पादन क्षमता 1,29,024 टन प्रतिवर्ष (रोम) (विक्रय योग्य खनिज 64,512 टन प्रतिवर्ष एवं वेस्ट 64,512 टन प्रतिवर्ष), क्षेत्रफल – 1.25707 हैक्टेयर की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई ।

स्थान :– राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, सूरजगढ़, तहसील – रियाबड़ी, जिला – नागौर

जिला :– नागौर।

दिनांक :– 10.08.2023

समय :– सायं 4:00 बजे से

16.	जगदीश सुरजगढ़	9636204998	जगदीश
17.	श्याम लाल सुरजगढ़	9461000434	श्याम
18.	कालुराम	9587631441	कालुराम
19.	भैराराम	9772170062	[illegible]
20.	राहुल	7850866202	Rahu
21.	उम्मेद बैकिवाल	8949483157	[illegible]
22.	माणक राम	9351858437	Manak
23.	हरजीराम	9929191881	हरजीराम
24.	रामलाल	6367077584	रामलाल
25.	भिंयाराम	8949477408	भिंयाराम
26.	Shivdan Lodam Vibrant Technolab Pvt. Ltd.	7734949193	Shiv
27.	Suresh Natwal Vibrant Techno Lab Pvt. Ltd.	8696200866	[illegible]
28.	शंकर जी सुरजगढ़	9982908141	
29.	डूंगाराम मेघवाल सूरजगढ़	7726097036	डूंगाराम
30.	अंकित जाजड़ा	9501775344	अंकित
31.	[illegible]		

उपस्थिति पत्रक

मैसर्स श्री हरि ग्रेनाईट माईन्स एण्ड मिनरल्स, गांव–सूरजगढ़, तहसील – रियावाडी, जिला – नागौर के "ग्रेनाईट माइनिंग प्रोजेक्ट, एम.एल. न. 51/2022, कुल अनुमानित उत्पादन क्षमता 1,29,024 टन प्रतिवर्ष (रोम), (विक्रय योग्य खनिज 64,512 टन प्रतिवर्ष एवं वेस्ट 64,512 टन प्रतिवर्ष), क्षेत्रफल – 1.25707 हैक्टेयर की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई ।

स्थान :– राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, सूरजगढ़, तहसील – रियावंडी, जिला – नागौर
जिला :– नागौर।
दिनांक :– 10.08.2023
समय :– सायं 4:00 बजे से

32.	हीरामचन्द	9829907740	[signature]
33.	[signature]	7014682007	[signature]
34.	[signature]	9772860027	[signature]
35.	महेन्द्र कुमार	9772241324	महेन्द्र
36.	अनिल चौधरी	9829246174	अनिल कुमार
37.	मोती राम	9828079676	मोती राम
38.	चेनाराम	9783015330	चेनाराम
39.	ब्रह्मदेवरामी (सरपंच प्रतिनिधि आलनियावास)	8209534731	[signature]
40.	उमराव अली	9950378215	[signature]
41.	रफीक मोहम्मद	8118864405	[signature]
42.	रामेश्वर	9057299972	रामेश्वर
43.	Sampat Singh	9829154101	[signature]
44.	Hemant chaudhary	9829042431	Hemant
45.	प्रेमप्रकाश कुल्हरिया	9414116936	प्रेमप्रकाश
46.	Bharat Reika	7426028296	[signature]
47.	दिनेश कुमार	9883562340	[signature]

उपस्थिति पत्रक

मैसर्स श्री हरि ग्रेनाईट माईन्स एण्ड मिनरल्स, गांव–सूरजगढ़, तहसील – रियावाडी, जिला – नागौर के "ग्रेनाईट माइनिंग प्रोजेक्ट एम.एल. न. 51/2022, कुल अनुमानित उत्पादन क्षमता 1,29,024 टन प्रतिवर्ष (रोम) (विक्रय योग्य खनिज 64,512 टन प्रतिवर्ष एवं वेस्ट 64,512 टन प्रतिवर्ष), क्षेत्रफल – 1.25707 हेक्टेयर की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई ।

स्थान :– राजकीय उच्च प्राथमिक विधालय, सूरजगढ़, तहसील – रियाबडी, जिला – नागौर
जिला :– नागौर।
दिनांक :– 10.08.2023
समय :– सायं 4:00 बजे से

48.	दिनेश मेहरा	7340201724	[signature]
49.	दौलतराम	7297083259	दौलतराम
50.	कालूराम	9549042487	कालूराम
51.	धर्माराम	9929148309	[signature]
52.	भेलाराम	9950969840	[signature]
53.	राजूराम	6378221203	[signature]
54.	इकबाल सिं	9950604127	[signature]
55.	ओमप्रकाश जोनवाल	9057287829	ओमप्रकाश
56.			
57.			
58.			
59.			
60.			

क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

प्रथम चरण, सहकारी भूमि विकास बैंक, कॉलेज रोड़, पुलिस लाइन के सामने, नागौर-341001 (राज.)
इ-मेल- rorpcb.nagaur@gmail.com

क्रमांक: राप्रनिम/आरओ-नागौर/पी.यू.बी.-177/744 दिनांक: 03/07/23

पर्यावरणीय स्वीकृति समूह खनन परियोजना हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि ''ग्रेनाईट माइनिंग क्लस्टर प्रोजेक्ट (एम.एल. नं. 39/2022, 19/2021, 04/2022 & 18/2021), कुल क्लस्टर क्षेत्र 5.48147 हेक्टेयर, कुल अनुमानित क्लस्टर उत्पादन क्षमता 6,29,462 TPA(ROM)'' आवेदक श्री कार्तिका मार्बल (M.L. NO. 39/2022), क्षेत्र- 1.3442 हेक्टेयर, खसरा न- 549, अनुमानित खनन उत्पादन क्षमता 1,37,088 TPA(ROM) गांव-सूरजगढ़, तहसील-रियांबड़ी, जिला-नागौर से संबंधित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना लोक सुनवाई हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहॉ तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।
2. और चुंकि श्री कार्तिका मार्बल, ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना की लोक सुनवाई हेतु मण्डल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त परियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस.ओ 1533 दिनांक 14.09.2006 ओर एस.ओ. 141 ई दिनांक 15.01.2016 के प्रावधानों के अनुसरण में जन सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना अनिवार्य है।
3. उक्त समूह खनन परियोजना से सम्बन्धित समूह EIA/EMP Report एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार अभिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध है:-

1. जिला कलक्टर, नागौर, 2. CEO जिला परिषद, नागौर 3. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय, 4- संस्थानिक क्षेत्र झालाना डूंगरी, जयपुर। 4. पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर। 5. क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, जयपुर।, 6. उपखण्ड अधिकारी, रियांबड़ी। 7. क्षेत्रीय प्रबन्धक, रिको, नागौर। 8. जिला उद्योग केन्द्र, नागौर। 9. ग्राम पंचायत, सूरजगढ़। 10. राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सूरजगढ़, गाँव-सूरजगढ, तहसील- रियांबड़ी, जिला-नागौर।

अतः सर्वसाधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, नागौर के पत्र क्रमांक न्याय/प्रदूषण/ज.सु2023/3551 दिनांक 28.06.2023 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त समूह खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु दिनांक 10.08.2023 (गुरुवार) को सांय 01:00 बजे, स्थान-राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सूरजगढ़, गाँव-सूरजगढ, तहसील- रियांबड़ी, जिला-नागौर में उपस्थित होकर अपने लिखित/मौखिक आक्षेप/सुझाव प्रस्तुत कर सकते है। इस संबंध में लिखित आक्षेप/सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, नागौर, जिला-नागौर को भी दिये जा सकते है। यह आम सूचना वैश्विक महामारी कोविड-19 से सम्बन्धित केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर पारित निर्देशों के अनुरूप एवम् अधिन रहेगी तथा सभी प्रावधानो/सावधानियों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

भवदीय (सविता), क्षैत्रीय अधिकारी

बैंक ऑफ़ बड़ौदा
Bank of Baroda

Branch : Suraj Pole, Pali, Kachery Main Road, Near Mirchi Hotel
Pali (Rajasthan), Ph.: 02932-222176, 228876
Mob. No. 8504800356, E-mail : pali@bankofbaroda.com

ANNEXURE-A "APPENDIX- IV-A [See proviso to Rule 8 (6)]

SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTY

E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with proviso to rule 8(6) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002.

Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower(s), Mortgagor(s) and Guarantor(s) that the below described the immovable property mortgaged/Charged to the Secured Creditor, possession of which has been taken by the Authorised officer of **Bank of Baroda, Secured Creditor,** will be sold on **"As is where is", "As is what is"** and **"whatever there is"** basis for recovery of dues in below mentioned account/s. The details of Borrower's, Mortgagor/Gurantor's, Secured Assets, Dues, Reserve Price, E-auction date & Time, EMD and Bid Increase Amount are mentioned below :

Name & address of Borrower's/ Guarantor/ Mortgagor's	**M/s Radha Fashion Pro. Mrs. Seema Jain W/o Mr. Vikash Choudhary (Borrower)** 1. F-86, 2nd Phase, Industrial Area Pali Distt. Pali (Raj.) 2. B-2, Next Gen Textile Park, Sardar Samand Road, Pali Distt. Pali (Raj.) 3. H.No. 1-B-58, New Housing Board Pali Distt. Pali (Raj.) **Mr. Vikas Choudhary S/o Mr. Subhash Kumar Choudhary (Guarantor)** 1-B-58, New Housing Board Pali Distt. Pali (Raj.) **Mr. Jayanti Lal Mehta S/o Jaswant Raj Mehta (Guarantor)** 302, Bherwa Enclave, Gandhi Murti, Pali Distt. Pali (Raj.) **M/s Century Cotton Mills (Guarantor)** B-4/5, Next Gen Textile Park, Industrial Area, Pali Distt. Pali (Raj.) **(Partner) Mr Vikas Choudhary S/o Mr. Subhash Kumar Choudhary** 1-B-58, New Housing Board Pali Distt. Pali (Raj.) **(Partner) Mr. Jayanti Lal Mehta S/o Jaswant Raj Mehta** 302, Bherwa Enclave, Gandhi Murti, Pali Distt. Pali (Raj.)
Total Dues	**Demand Notice Date :** 11.01.2022, **Rs. 1,00,43,802.52** interest up to 30.11.2021 + further applicable interest, cost, charges & other expenses etc. **Present Outstanding : Rs. 1,00,43,802.52** as on 30.11.2021 + further applicable interest, cost, charges & other expenses etc.

Status of Possession : Constructive Possession

Property Inspection Date & Time : 21.07.2023, 12:00 Noon to 04:00 PM

Date & Time of e-Auction : 26.07.2023, 02:00 Noon to 05:00 PM
(With unlimited extensions of 10 min. each)

Last Date & Time for submission of EMD and documents copy by 25.07.2023 Upto 04:00 PM

Give short description of the immovable property with known encumbrances, if any	Reserve Price / EMD / Bid Increase Amt.
Residential Property situated at **Plot No. 17/1, Village Mandali Khurd, Sumerpur Road, Pali (Raj.) Measuring 4000 Sq.Ft.** in the name of **Mrs. Seema Jain W/o Sh. Vikas Choudhary.** **Bounded By** :- East : Sumerpur Pali Road, West : Agriculture Land, North : Road, South : Road. Encumbrances : Not known	**Rs. 39,10,000/-** **Rs. 3,91,000/-** **Rs. 10,000/-**

For detailed terms and conditions of the sale, please refer to the link provided in https://www.bankofbaroda.in/e-auction.htm and (https://ibapi.in). Also, prospective bidders may contact the authorized officer on **Phone No. 02932-222176, 228876, Mobile No. 8504800356**

Date : 06.07.2023, Place : Pali

Authorised Officer, Bank of Baroda

... Rules, 2002 on this the 04th day of July of the year 2023

The Borrower/Guarantors/Mortgagors in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the **Bank of Baroda, Railway Campus Branch, Near Railway Station, Ajmer 305001** for an amount **Rs. 21,99,193.87 (Rupees Twenty One Lakhs Ninety Nine Thousand One Hundred Ninety Three & Paisa Eighty Seven only) as on 19.12.2022** and future interest thereon at the contractual rate plus costs, charges and expenses till date of payment.

The Borrowers attention is invited to provision of sub section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY

All that part and parcel of Equitable Mortgage of Residential Property bearing AMC No. 22/235 = 22/235 = 21/84 situated at Near Ganesh Mandir, Bada Peer Road, Mali Mohalla, Nabab ka Beda, Ajmer, Rajasthan Admeasuring 96.31 Sq. Yards belongs to Ms. Mariyam D/o Shri Abdul Sattar
Bounded by- North: House of Shri Khemchand, South: House of Shri Nursing Chaudhary, East: Public Road, West: Public Road

Date : 04.07.2023
Place: Ajmer

Sd/-
Authorised Officer

क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

प्रथम चरण, सहकारी भूमि विकास बैंक, कॉलेज रोड़, पुलिस लाइन के सामने, नागौर-341001 (राज.)
इ-मेल- rorpcb.nagaur@gmail.com

क्रमांक: राप्रनिम/आरओ-नागौर/पी.यू.बी.-178/762 दिनांक: 03/07/2023

पर्यावरणीय स्वीकृति समूह खनन परियोजना हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि ''ग्रेनाईट माइनिंग क्लस्टर प्रोजेक्ट (एम.एल. नं. 51/2022, 19/2021, 04/2022, 18/2021 & 24/2020), कुल क्लस्टर क्षेत्र 9.56954 हेक्टेयर, कुल अनुमानित क्लस्टर उत्पादन क्षमता 10,45,430 TPA(ROM)'' आवेदक श्री हरि ग्रेनाइट माईन्स एण्ड मिनेरल (Ref No.20221000069010, M.L. NO. 51/2022), क्षेत्र- 1.25707 हेक्टेयर, खसरा न- 700/517 & 747/600, अनुमानित खनन उत्पादन क्षमता 1,29,024 TPA(ROM) गांव-सूरजगढ़, तहसील-रियांबड़ी, जिला-नागौर से संबंधित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना लोक सुनवाई हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहॉ तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।
2. और चुंकि श्री हरि ग्रेनाईट माईन्स एण्ड मिनेरल, ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना की लोक सुनवाई हेतु मण्डल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त परियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस.ओ 1533 दिनांक 14.09.2006 ओर एस.ओ. 141 ई दिनांक 15.01.2016 के प्रावधानों के अनुसरण में जन सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना अनिवार्य है।
3. उक्त समूह खनन परियोजना से सम्बन्धित समूह EIA/EMP Report एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार अभिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध है:-

1. जिला कलक्टर, नागौर, 2. CEO जिला परिषद, नागौर 3. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय, 4- संस्थानिक क्षेत्र झालाना डूंगरी, जयपुर। 4. पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर। 5. क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, जयपुर।, 6. उपखण्ड अधिकारी, रियांबड़ी। 7. क्षेत्रीय प्रबन्धक, रिको, नागौर। 8. जिला उद्योग केन्द्र, नागौर। 9. ग्राम पंचायत, सूरजगढ़। 10. राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सूरजगढ़, गाँव-सूरजगढ, तहसील- रियांबड़ी, जिला-नागौर।

अतः सर्वसाधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, नागौर के पत्र क्रमांक न्याय/प्रदूषण/ज.सु2023/3571 दिनांक 28.06.2023 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त समूह खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु दिनांक 10.08.2023 (गुरुवार) को सांय 4:00 बजे, स्थान-राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सूरजगढ़, गाँव-सूरजगढ, तहसील- रियांबड़ी, जिला-नागौर में उपस्थित होकर अपने लिखित/मौखिक आक्षेप/सुझाव प्रस्तुत कर सकते है। इस संबंध में लिखित आक्षेप/सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, नागौर, जिला-नागौर को भी दिये जा सकते है। यह आम सूचना वैश्विक महामारी कोविड-19 से सम्बन्धित केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर पारित निर्देशों के अनुरूप एवम् अधिन रहेगी तथा सभी प्रावधानो/सावधानियों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

भवदीय (सविता), क्षैत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

प्रथम चरण, सहकारी भूमि विकास बैंक, कॉलेज रोड़, पुलिस लाइन के सामने, नागौर-341001 (राज.)
इ-मेल- rorpcb.nagaur@gmail.com

क्रमांक: राप्रनिम/आरओ-नागौर/पी.यू.बी.-179/768 दिनांक: 03/07/23

पर्यावरणीय स्वीकृति समूह खनन परियोजना हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि ''चाईना क्ले माइनिंग क्लस्टर प्रोजेक्ट (एम.एल. रेफ नं. 20221000071292 एम.एल. न. 06/2021, 09/2022, 11/2021 & 25/2021), कुल क्लस्टर क्षेत्र 11.3312 हेक्टेयर, कुल अनुमानित क्लस्टर उत्पादन क्षमता 6,93,105 TPA(ROM)'' आवेदक मैसर्स जय हनुमान मिनरल्स (Ref. No. 20221000071292), क्षेत्र- 3.2390 हेक्टेयर, खसरा न- 721/673 & 713/674, अनुमानित खनन उत्पादन क्षमता 1,19,400 TPA(ROM) गांव-टांगला, तहसील-जायल, जिला-नागौर से संबंधित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना लोक सुनवाई हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहॉ तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।
2. और चुंकि मैसर्स जय हनुमान मिनरल्स, ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना की लोक सुनवाई हेतु मण्डल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त परियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस.ओ 1533 दिनांक 14.09.2006 ओर एस.ओ. 141 ई दिनांक 15.01.2016 के प्रावधानों के अनुसरण में जन सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना अनिवार्य है।
3. उक्त समूह खनन परियोजना से सम्बन्धित समूह EIA/EMP Report एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार अभिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध है:-

1. जिला कलक्टर, नागौर, 2. CEO जिला परिषद, नागौर 3. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय, 4- संस्थानिक क्षेत्र झालाना डूंगरी, जयपुर। 4. पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर। 5. क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, जयपुर।, 6. उपखण्ड अधिकारी, जायल। 7. क्षेत्रीय प्रबन्धक, रिको, नागौर। 8. जिला उद्योग केन्द्र, नागौर। 9. ग्राम पंचायत, टांगला। 10. राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय टांगला, ग्राम पंचायत टांगला, तहसील- जायल, जिला-नागौर।

अतः सर्वसाधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, नागौर के पत्र क्रमांक न्याय/प्रदूषण/ज.सु2023/3564 दिनांक 28.06.2023 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त समूह खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु दिनांक 11.08.2023 (शुक्रवार) को सांय 01:00 बजे, स्थान-राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय टांगला, ग्राम पंचायत टांगला, तहसील-जायल, जिला-नागौर में उपस्थित होकर अपने लिखित/मौखिक आक्षेप/सुझाव प्रस्तुत कर सकते है। इस संबंध में लिखित आक्षेप/सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, नागौर, जिला-नागौर को भी दिये जा सकते है। यह आम सूचना वैश्विक महामारी कोविड-19 से सम्बन्धित केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर पारित निर्देशों के अनुरूप एवम् अधिन रहेगी तथा सभी प्रावधानो/सावधानियों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

भवदीय (सविता), क्षैत्रीय अधिकारी